

लखनऊ के विवेक तिवारी हत्याकांड पर काली पट्टी बांधकर कुछ पुलिसजन द्वारा किया गया विरोध, अनुशासनहीनता है

विजय शंकर सिंह

पुलिस में आदेश का अनुपालन न करने और कायरता प्रदर्शित करने का एक ही दंड है। वह है सेवा से बखासगी। यह पुलिस में हीं नहीं बल्कि सभी यूनिफॉर्म सुरक्षा बलों में है, यहां तक कि सेना में भी। अभी विवेक तिवारी हत्याकांड में दोषी पुलिसजन पर सरकार ने कार्यवाही की है और एसआईटी द्वारा जांच भी हो रही है। पर कुछ पुलिस वालों का अभियुक्तों के समर्थन में काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन करना और उसे सोशल मीडिया पर डालना, यह एक असामान्य बात है। अपने 34 साल के पुलिस जीवन में ऐसा न तो मैं देखा है और न ही सुना है।

1973 में जब मैं बीएचयू में पढ़ रहा था पीएसी विद्रोह हुआ था। हमलोग तमाशा देखने लंका से सामने घाट पैरों का पुल सायकिल से पार कर देखने थे, पर जब किंतु के पास पुलिस ने दौड़ाया तो वापस भागे। दूसरे दिन अखबारों से सारी बात पता चली। रामनगर, कानपुर, लखनऊ, अदेश स्थानों की पीएसी वाहिनियों में जवानों ने हथियार उठा लिये थे, और सेना को कमान संभालनी पड़ी थी। सेना के अफसर जवान भी मरे थे और पीएसी के भी अफसर जवान मरे गए थे। तब कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री थे और एक दास आईजीपी थे। तब डीजी का पद नहीं बना था। आईजी ही सर्वोच्च अफसर होता है। सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, और एक दास को हटाना पड़ा। पर यह विद्रोह किसी अपराध में लिस अभियुक्त पुलिस जन को बचाने के लिये नहीं बल्कि पीएसी को मिलने वाली सुविधाओं के कारण था। बाद में पीएसी का बजट बढ़ाया गया, सुविधाएं बढ़ी और कार्यप्रणाली में सुधार के लिये कदम उठाए गए। तब एक संगठन पुलिस परिषद का भी गठन हुआ था, जिसे सरकार ने अवैध घोषित कर रखा है। 1973 के विद्रोह के बाद कई पीएसी वाहिनियों को भान कर दिया गया। उनके स्थान पर नयी वाहिनियां गठित की गयी। विद्रोह की वाहिनियों को भान किये जाने की एक सैन्य परंपरा भी है। ऐसे अनुशासनहीन विद्रोह ने केवल पुलिस अनुशासन की गिराते हैं, बल्कि वे विभाग पर एक प्रकार से काले धब्बे हैं।

लखनऊ की घटना न केवल अचैतन्य करती है बल्कि वह एक खतरनाक वायरस

का भी संकेत देती है। जब हम लोग नौकरी में आये थे तो, पीटीसी जिसे तब अकादमी नहीं कहा जाता था में विस्तार से इस विद्रोह के कारणों को बताया गया था। अनुभवी और पुराने अधिकारियों के अनुसार, जब अफसर और मातहत में आपसी विश्वास का अभाव होने लगता है तो यह सारी समस्याएं और ऐसी अनुशासनहीनता की घटनाएं होने लगती हैं। पहले अफसर और मातहत के बीच का संबंध एक परिवार और उसके मुखिया के बीच का आत्मीय संबंध होता था। अनुशासन का अर्थ मातहत को केवल नियन्त्रित करना ही नहीं है, बल्कि उसकी सारी निजी और विभागीय समस्याओं को भी नियन्त्रित करे। पुलिस विभाग भी समय समय पर ऐसे आदेश निर्देश जारी करता रहता है और उचित धन भी देता है, जिससे कल्याणकारी योजनाएं चलायी जाती। विभाग के प्रमुख का यह गुरुतर दायित्व है कि एक आपसी भरोसे का सेत बना रहे।

लखनऊ की काला फोता हाँथों में लगाने की घटना को सामान्य प्रतिरोध समझने की भूल नहीं करना चाहिये। विवेक तिवारी हत्याकांड में कल्पना तिवारी को मुआवजा मिल जाने और उनको नौकरी मिल जाने से इस अपराध का शमन नहीं हो जाता है। मुआवजा कोई अर्थदंड नहीं है बल्कि सरकार को एक दायित्व। पर हत्या तो हुयी ही है। अभियुक्त जेल में है। अभी वाहिनी चल रही है। उसका कहाना है कि उसने आत्मरक्षार्थ फायर किया है। यह काम अब विवेचक का है कि वह तथ्यों का अनुसंधान करे कि सच क्या है और उसे अदालत ले जाये। पर सिपाहियों का यह कृत्य कि वे मुल्जिम के पक्ष में काली पट्टी लगाएं सर्वथा अनुचित है। अगर उन्हें लगता है कि मुल्जिम को जानबूझकर फंसाया जा रहा है और एसआईटी विवेचना में निष्पक्षता नहीं बरत पा रही है तो वे सरकार या डीजीपी से विवेचना एजेंसी बदलने के लिये अपनी बात रख सकते हैं, न कि काली पट्टी बांध कर विरोध पक्ष झाड़ देगा तो वह स्वतः अनुशासनहीन होने लगता है।

पुलिस में कोई टेड यूनियन जैसा संगठन नहीं है और न ही ऐसे संगठनों का अस्तित्व होना चाहिये। ऐसे संगठन कुछ पुलिसजन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही जगायें। वे राजनीतिक दलों के लिये जो जाति और धर्म के आधार पर अपना खेत ढूँढ़ते हैं के लिये एक चारगाह ही बन जाएंगे। हो सकता है ऐसे संगठन के कुछ पदाधिकारियों भले ही कल्पाणा हो जायें पर एक प्रकार का अशन संकेत है। इसकी अलग से जांच कराकर कायवाही की जानी चाहिये। जब पुलिसजन के पास संपर्की वाल्व

जैसा कोई समस्या निवारण का मेकेनिज्म नहीं है तो यह जिम्मेदारी पुलिस की इकाई के प्रभारी, जिसे जिले के एसपी, और बटालियन के कमांडेंट की है कि वह सभी मातहत पुलिसजन से न केवल संवाद बनाये रखे बल्कि उनकी निजी और विभागीय समस्याओं को भी नियन्त्रण करे। पुलिस विभाग भी समय समय पर ऐसे आदेश निर्देश जारी करता रहता है और उचित धन भी देता है, जिससे कल्याणकारी योजनाएं चलायी जाती। विभाग के प्रमुख का यह गुरुतर दायित्व है कि एक आपसी भरोसे का सेत बना रहे।

लखनऊ की काला फोता हाँथों में लगाने की घटना को सामान्य प्रतिरोध समझने की भूल नहीं करना चाहिये। विवेक तिवारी हत्याकांड में कल्पना तिवारी को मुआवजा मिल जाने और उनको नौकरी मिल जाने से इस अपराध का शमन नहीं हो जाता है। मुआवजा कोई अर्थदंड नहीं है बल्कि सरकार को एक दायित्व। पर हत्या तो हुयी ही है। अभियुक्त जेल में है। अभी वाहिनी चल रही है। उसका कहाना है कि उसने आत्मरक्षार्थ फायर किया है। यह काम अब विवेचक का है कि वह तथ्यों का अनुसंधान करे कि सच क्या है और उसे अदालत ले जाये। पर सिपाहियों का यह कृत्य कि वे मुल्जिम के पक्ष में काली पट्टी लगाएं सर्वथा अनुचित है। अगर उन्हें लगता है कि मुल्जिम को जानबूझकर फंसाया जा रहा है और एसआईटी विवेचना में निष्पक्षता नहीं बरत पा रही है तो वे सरकार या डीजीपी से विवेचना एजेंसी बदलने के लिये अपनी बात रख सकते हैं। जब वह यह मानने लगता है कि अफसर पक्ष झाड़ देगा तो वह स्वतः अनुशासनहीन होने लगता है।

विवेचना, सीबीसीआईडी से हो सकती है और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई से भी हो सकती है। कल अगर इस तरह पुलिसजन झाँड़े लेकर सड़क पर हर उस विवेचना में जिसमें कोई पुलिसजन अभियुक्त है के पक्ष में खड़े हो जाय तो कानून व्यवस्था की लंबी लंबी बातें कराना तो भले ही जाइये। हम एक उद्दंड और अनुशासन हीन पुलिस बल बन कर रह जाएंगे। इस घटना को नजरअंदाज करना एक प्रकार का अशन संकेत है। इसकी अलग से जांच कराकर कायवाही की जानी चाहिये।

पुलिस की योगी छाप गुंडई.....

पेज एक का शेष

डेह साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश पुलिस कर चुकी है जबकि इनमें से एक भी मामले में स्वतंत्र जांच नहीं की गयी।

यहाँ तक कि विनीत तिवारी मामले में भी, जहाँ वे गलती स्वीकारने का दोंग कर रहे थे, अपराध की छापनीवाही की गयी। डीजीपी का माफीनामा भी, जो पुलिस को नैतिक उपदेश देने तक सीमित है, पूर्णतया गैरकानूनी एनकाउंटर संस्कृति के चलन पर एकदम खामोश है। क्या नैतिकता और वैधानिकता परस्पर विरोधी खेम हुए? जबकि 'गलती' से सबक और तदनुसार पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन न्यूनतम पहल होना चाहिये थी। दरअसल, औपनिवेशिक निर्मिति के धेरे से बाहर आकर संवैधानिक निर्मिति की योगी आशंका का पहला निर्णयिक कदम उठाने से भी हमारी पुलिस अभी कोई दूर है।

हत्यारीपी पुलिस वालों को लखनऊ में विनीत तिवारी की कार का पीछा करके रोकना महज इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि उनके साथ एक महिला भी थी; उन पर पुलिस की मोटर साइकिल में टक्का मारने का आरोप मढ़ा गया ताकि 'ठोक दे' की नृशंसता छिप सके। योगी इसे एनकाउंटर नहीं कहते लेकिन कभी अपने परिवार से पछिए-मल्टीनेशनल कंपनी के इस बड़े एजीव्यूटिव की तरह, किसी शाम काम से घर लौटे हुए, पुलिस के हवाई शक के चलते बीच सड़क पर आपके मारे जाने की आशंका क्या उहें सुरक्षित बनायेगी?

आइये इसी दृश्य को आगे बढ़ायें। दूर अलीगढ़ में नौशाद और मुस्तकीम नामक दो गरीब मुस्लिम नौजवानों को पुलिस दो दिन पहले हुयी एक बेसुराग हत्या के संदेह में 16 सितम्बर को उनके घर से उठा लेती है, 18 सितम्बर को उन पर इनाम घोषित करती है ताकि 20 सितम्बर को उहें 'लाइव' एनकाउंटर में मारा जाता दिखा सके। योगी, इसे एनकाउंटर कहते हैं। बेशक प्रदेश के दो अलग क्षेत्र और दो अलग प्रकरण, लेकिन दोनों में एक-सी ठोक दे मानसिकता।

सत्ता राजनीति के जातिवादी मंचन और पुलिस की औपनिवेशिक जड़ों के योगी गठजोड़ का कोई भविष्य नहीं है। पुलिस के अपराधीकरण के रास्ते से अपराध सफाये की मर्जिल तथ्य करने की योगी मुहिम एक दिवा स्वप्न से अधिक कुछ ही भी नहीं सकती। विवेक तिवारी हत्याकांड को जातिवादी राजनीति का आईना मत बन जाने दीजिये। हाँ, इसमें न्यायिक विवेक का प्रशासनिक आईना होने की संभावना जरूर है, जिसमें हर पुलिस एनकाउंटर को देखा-परखा जाना चाहिये।

घर बैठे प्राप्त करें मजदूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्षित हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्भगढ